तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 38 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़, पता भगवतनगर, झंवर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.18 में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 2001 / 22835 दिनांक 17.07.02 एवं 2001 / 24132 दिनांक 05.08.02 का गांव झंवर के खसरा नम्बर 1316, 1317, 1340, 1340 / 1, 1953 एवं 1955 का आपको भेजने एवं ग्राम पंचायत झंवर एवं ग्रामीणों का बार बार आपको लिखने पर भी आज तक आबादी भूमि का नामान्तरकरण क्यों नहीं भरा– कारण अवगत कराने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	